



2026:AHC:50103

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या -8969 वर्ष 2026

राज कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 22 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : -रामेश्वर गौड़, विजय कुमार मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी-प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील- हंडिया, जिला प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाए कि वे केस संख्या 3519/2023 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या टी202302030403519), भगौती प्रसाद व अन्य बनाम राज कुमार व अन्य, को यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर विचार करके उसका निर्णय करें।
4. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और इस मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का **अंतिम रूप से निपटारा** किया जाता है। इसके साथ

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ही, प्रतिवादी संख्या 2, यानी उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील- हंडिया, जिला प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार, बिना किसी अनावश्यक

स्थगन के, शीघ्रता से करें—बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।